

विषय : आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठान के बीजकों को पारित करने हेतु संयुक्त प्रक्रिया आदेश (JPO)।

संदर्भ : JPO No. SA/B/Policy/2018 दिनांक 19.08.2019

दिनांक 19.08.2019 को जारी संयुक्त प्रक्रिया आदेश के क्रम संख्या 02 भण्डार बीजकों के आनलाईन भुगतान हेतु जारी प्रक्रिया के स्थान पर वर्तमान से लागू संयुक्त प्रक्रिया आदेश निम्नवत् है :-

IREPS, IMMS तथा IPAS के आपस में सम्बद्ध होने के कारण आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठान के बीजकों के निस्तारण हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा :-

1. वर्तमान में प्रतिष्ठान से बीजक की हार्ड कापी प्राप्त की जाती है इस व्यवस्था को बन्द करते हुए Online उपलब्ध बीजक मान्य होंगे।
2. लेखा कार्यालय द्वारा क्रयादेश, रिसीटेड चालान, रिसीट नोट एवं निरीक्षण प्रमाण-पत्र को IPAS से डाउनलोड कर आन्तरिक जांच पूर्ण करते हुए बीजक पारित किए जायेंगे।
3. वर्तमान में रिसीटेड चालान पर डिपो अधिकारी का सत्यापन होता है इस व्यवस्था को बन्द करते हुए On Line Digital Signature ही मान्य होंगे।
4. वर्तमान में प्रत्येक बीजक पर रिकवरी दर्ज किया जाता है कि प्रतिष्ठान के बीजक से रिस्क परचेज/ रेलवे रिकवरी की जानी है या नहीं की जानी है। इस विवरण को प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्ध/भण्डार डिपो कार्यालय द्वारा आरनोट पर या Online (AIMS /IPAS पर) किया जाएगा।
5. वर्तमान में बिल अनुभाग द्वारा Purchase Suspense Section से रिसीट नोट पर क्रेडिट प्राप्त कर बीजक पारित किया जाता है एवं तत्पश्चात् CO7 बनाकर Debit Posting हेतु Purchase Suspense Section को प्रेषित किया जाता है। Debit Posting उपरान्त CO7 को Online एवं इसका Hard Copy खाता अनुभाग को प्रेषित किया जाता है। इस व्यवस्था को बन्द करते हुए बिल अनुभाग द्वारा बिना क्रेडिट प्राप्त किए रिसीट नोट/क्रयादेश पर उपलब्ध निधि के आधार पर बीजक पारित करके CO7 की हार्ड कापी सीधे खाता अनुभाग को प्रेषित किया जायेगा।
6. वर्तमान में PVC/SVC बीजकों हेतु प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्ध कार्यालय से Additional Fund लिया जाता है तथा भण्डार डिपो द्वारा मूल्य समायोजन किया जाता है एवं DSA कार्यालय द्वारा अतिरिक्त क्रेडिट Purchase Suspense Section को भेजा जाता है तत्पश्चात् बीजक पारित किया जाता है। अब इस बिन्दु 6 के स्थान पर बिन्दु 7 एवं 8 में

उल्लिखित प्रक्रिया के अन्तर्गत PVC/SVC बीजकों का भुगतान किया जाएगा।

7. PVC बीजकों हेतु Base Payment एवं PVC Payment का एक साथ भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

- (i) भण्डार डिपो कार्यालय प्रतिष्ठान के Invoice Rate/Value के आधार पर रिसीट नोट जारी करेगा तत्पश्चात भण्डार डिपो लेखा कार्यालय (DSA) रिसीट नोट के अनुसार क्रेडिट का समायोजन करेगा।
- (ii) अतिरिक्त निधि के आवंटन हेतु प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक कार्यालय (P.C.M.M. Office) On Line संशोधन पत्र जारी करेगा।
- (iii) लेखा विभाग भुगतान के समय सभी आवश्यक प्रपत्रों का सत्यापन/जांच करेगा।

8. उपरोक्त बिन्दु 7 पर PVC बीजकों हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया SVC बीजकों हेतु भी अपनायी जायेगी।

9. पहले से जारी प्रक्रिया और नई प्रक्रिया दोनों दिनांक 31.03.2022 तक साथ-साथ चलेंगी। दिनांक 01.04.2022 से मात्र Online प्रक्रिया लागू रहेगी।

यह प्रधान वित्त सलाहकार एवं प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(कौस्तुभ मणि)
उपमुख्य सामग्री प्रबन्धक/ईएसटी

10/12/2021
(तेज प्रकाश पाण्डेय)
उपविसमुलेधि/भं0 एवं का0

संख्या : एस/पॉलिसी/जे.पी.ओ./पार्ट-I/2020 दिनांक : 10.12.2021